दिनांक 12.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा ''ए0के0दास मेडल फार एकेडमिक एक्सीलेंस'' पुरस्कार हेतु चयनित उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के मेघावी बच्चों को किया गया पुरस्कृत

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 12.12.2025 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में **''ए0के0दास मेडल फार एकेडमिक एक्सीलेंस''** पुरस्कार हेतु चयनित उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के दो मेघावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज, महानगर लखनऊ की संस्थापक निदेशक, डा0 अमृता दास द्वारा अपने स्वर्गीय पिता पूर्व डीजीपी श्री ए0के0 दास की स्मृति में वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष **''ए0के0दास मेडल फार एकेडमिक एक्सीलेंस''** पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह छात्रवृत्ति योजना पुलिस आरक्षियों के बच्चों की शैक्षिक उन्नति को प्रोत्साहित करती है। इस योजना में उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिका को पुरस्कृत किया जाता है।

उक्त क्रम में वर्ष–2025 की इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जनपद बदायूॅं में नियुक्त आरक्षी श्री जयपाल सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी ने 94 प्रतिशत अंक तथा जनपद बांदा में नियुक्त आरक्षी श्री राघवेन्द्र सिंह के पुत्र आदरेश सिंह द्वारा 92.8 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतम अंक प्राप्त किये गये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा–2025 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उक्त दोनो मेघावी छात्र एवं छात्राओं को **''ए0के0दास मेडल फार एकेडमिक एक्सीलेंस''** पुरस्कार के अंतर्गत 10–10 हजार रूपये की धनराशि व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज, महानगर लखनऊ की संस्थापक निदेशक, **डा0 अमृता दास** द्वारा पुरस्कृत विजेताओं को बधाई देते हुये कहा, **''प्रिया व आदरेश की शैक्षणिक उत्कृष्टता हमारे लिये गर्व का विषय है। यह छात्रवृत्ति पहल पुलिस परिवारों में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की हमारी सत्त्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है।''**

दिनांक 12.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत करीब 14 करोड़ 15 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 12.12.2025 को विभिन्न जनपदों में अलग–अलग तिथियों में मृत पुलिस कर्मियों के शोक संतप्त आश्रित परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से किये गये एमओयू के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किये जाते हैं, इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को करीब 14 करोड़ 15 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

- निरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में नियुक्त थे, ड्यिूटी के दौरान डंफर वाहन द्वारा मोटर साइकिल में टक्कर मार देने के कारण दिनांकः 12.07.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 02 करोड़ 12 हजार 500 रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 सुरेश प्रसाद गोंड जनपद महराजगंज में नियुक्त थे, पुलिस कार्यालय जाते समय टैक्ट्रर द्वारा जोरदार टक्कर मार देने के कारण इलाज के दौरान दिनॉकः 01.04.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 70 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 मंजीत सिंह जनपद अमेठी में नियुक्त थे, दबिश के बाद अमेठी आने के दौरान बांगरमऊ जनपद उन्नाव के पास अनियत्रित बस द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 20.06.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 70 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 मोहित कुमार जनपद शाहजहॉपुर में नियुक्त थे, पीछे से आ रहे ट्रक द्वारा इनकी कार में जोरदार टक्कर मार देने के कारण इलाज के दौरान दिनांकः 01.02.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 70 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

- मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र सिंह 12वीं पीएसी वाहिनी फतेहपुर में नियुक्त थे, फतेहपुर लौटते समय अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार देने के कारण दिनांकः 05.04.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 85 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- मुख्य आरक्षी अनुज कुमार पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में नियुक्त थे, पीआरवी वैन से फर्स्ट ऐड बाक्स निकालते समय पीछे से आ रहे ट्रक द्वारा टक्कर मार देने के कारण दिनांकः 11.08.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 70 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी बीर बहादुर जनपद चन्दौली में नियुक्त थे, ड्यिूटी के कार्य से वाराणसी जाते समय पीछे से आ रहे ट्रक द्वारा टक्कर मार देने के कारण दिनांकः 06.08. 2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 70 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी राज गुप्ता जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्त थे, सिर में आयी गहरी चोट के कारण इलाज के दौरान दिनांकः 29.05.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 01 करोड़ 80 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

इस अवसर पर श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/ पीएचक्यू, श्री आर0के0 भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण, श्री शलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबन्धक श्री कमलेश राठौर, शाखा प्रबन्धक श्री शशिकांत सिंह उपस्थित रहें।

जी.आर.पी.
CBS
X X X X X X X X
D D M M Y Y Y Y
सुरेश प्रसाद गोंड़ (सब इंस्पेक्टर) महराजगंज
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
XXXXXXXXXXXXXX
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

जी.आ
प्रदेश
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
चालू खाता / CURRENT ACCOUNT
X X X X X X X X
D D M M Y Y Y Y
Pay मंजीत सिंह (सब इंस्पेक्टर) अमेठी
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
खाता सं. A/c No. XXXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

Bank of Baroda
CBS
मोहित कुमार (सब इंस्पेक्टर) शाहजहांपुर
Or Bearer
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

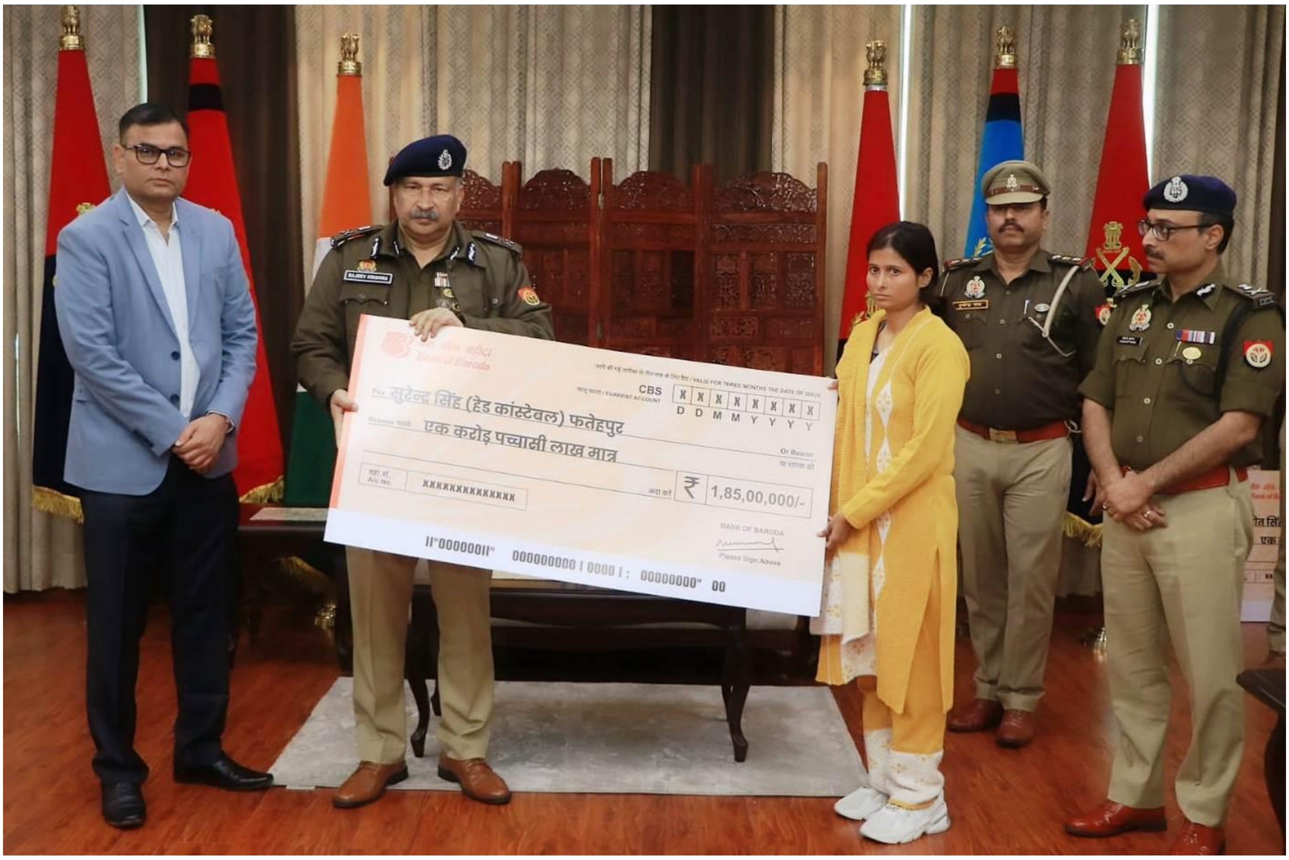
Bank of Baroda
CBS
सुरेन्द्र सिंह (हेड कांस्टेबल) फतेहपुर
एक करोड़ पचासी लाख मात्र
Or Bearer
₹ 1,85,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

अनुज कुमार (हेड कांस्टेबल) गाजियाबाद
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA

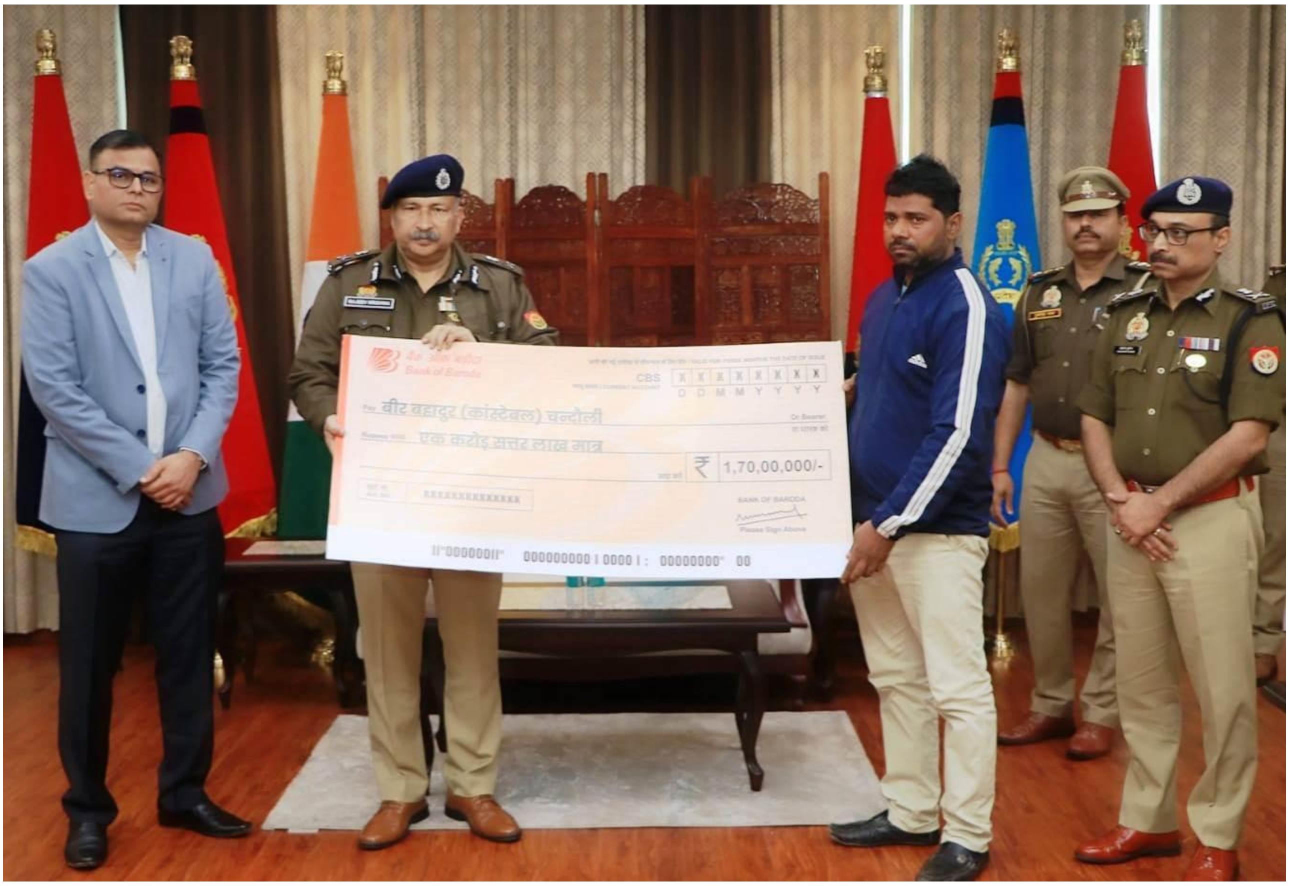
CBS
बीर बहादुर (कांस्टेबल) चन्दौली
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

Bank of Baroda
CBS
X X X X X X X X
D D M M Y Y Y Y
राज गुप्ता (कांस्टेबल) सिद्धार्थनगर
एक करोड़ अस्सी लाख मात्र
Or Bearer
₹ 1,80,00,000/-
XXXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

दिनांक 12.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 12.12.2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली एवं आजमगढ़ इकाइयों द्वारा **दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई** की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा श्री दिलीप अग्रवाल निवासी म0नं0-188 सी साल्वेशन आर्मी रोड निकट थाना कोतवाली जनपद बरेली से रजिस्ट्री करवाने व प्रतिकार दिलवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में एसबीआई एटीएम के सामने सडक पर तहसील रोड थाना मीरगंज जनपद बरेली के पास से **सींच पर्यवेक्षक ऋषि कुमार सिंह (तैनाती बाढ खण्ड कार्यालय 177 सिविल लाइन बरेली)** पुत्र राजवीर सिंह निवासी म0नं0-6 बाके बिहारी कॉलोनी साऊथ सिटी मोड करगैना थाना सुभाष नगर जनपद बरेली को **10 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ इकाई द्वारा श्री अबुशाद निवासी ग्राम रसूलपुर तुंगी पोस्ट दुबरा बाजार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ से नीलामी द्वारा आवंटित पोखरे के पट्टे की स्वीकृति आदेश कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कमलेश कुमार पासवान के नेतृत्व में तहसील परिसर मार्टिनगंज प्रथम तल रिकार्ड रूम जनपद आजमगढ़ से **राजस्व निरीक्षक जय प्रकाश यादव (राजस्व विभाग)** पुत्र किन्सराज यादव निवासी साहबाबाद पोस्ट नाहरपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 12.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–पोर्टल के माध्यम से कूटरचित जन्म/निवास प्रमाण पत्र बनाकर, उसके प्रयोग से बहराइच–नेपाल बार्डर के आसपास फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले संगठित गिरोह का मास्टर माइंड गिरफ्तार।

दिनांकः 12–12–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पोर्टल के माध्यम से Online Digitally कूटरचित जन्म/निवास प्रमाण पत्र बनाकर, उसका प्रयोग कर बहराइच–नेपाल बार्डर के आसपास फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने के रैकेट संचालित करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड को थाना–मुर्तिहा, जनपद–बहराइच से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– प्रमोद कुमार निषाद पुत्र संत राम निषाद निवासी ग्राम सेमरी मलमला थाना मुर्तिहा, मिहिपुरवा जनपद बहराइच उम्र लगभग 28 वर्ष, षिक्षा– बीएससी

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 अदद लैपटाप।

3– 02 अदद एटीएम कार्ड।

4– 01 अदद आधार कार्ड

5– 01 अदद चेक बुक।

6– 01 अदद बायोमैट्रिक स्कैनर।

7– 01 अदद रेटिना स्कैनर।

8– 01 अदद वेबकैम।

9– 87 वर्क मोबाइल फोन से लिये गये स्क्रीनषाट व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति।

10– 01 अदद हुंडई वरना कार नम्बर डीएल 12 सीएम–3305

7– रू0 2680/– नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– दिनांकः 12–12–2025 स्थानः रजनवा नेपाल बार्डर थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच समय लगभग 04:30 बजे सुबह।

नेपाल बार्डर के आसपास फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने के रैकेट संचालित करने वाले संगठित गिरोह की गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच में दिनांक 29–10–2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0स0 251/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया कि एक संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित जन्म/निवास प्रमाण पत्र बनाकर उसका प्रयोग कर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाये जा रहे थे। गिरोह के सोनू सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह, नफीस अली व राम निवास गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो पता चला कि पोर्टल के माध्यम से Online Digitally कूटरचित जन्म/निवास प्रमाण पत्र बनाने के पोर्टल की व आधार कार्ड बनाने की यूजर आईडी व पासवर्ड उनको प्रमोद कुमार निषाद द्वारा उपलब्ध कराया गया था जो इस मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा है।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर विष्लेषण किया गया तो पता चला कि प्रमोद कुमार उपरोक्त द्वारा नेपाल बहराइच बार्डर पर दर्जनों लोगो को पोर्टल के माध्यम से Online Digitally कूटरचित जन्म/निवास प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल व आधार कार्ड बनाने की यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह गिरोह अवैध तरीके से लोगों के आधार कार्ड बना रहा है व उनमें करेक्षन कर रहा है। प्रमोद कुमार द्वारा नेपाल भागने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा आवष्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रमोद कुमार को रजनवा नेपाल बार्डर थाना मुर्तिंहा जनपद बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने वर्ष–2021 में जनसेवा केन्द्र पर आनलाईन फार्म भरने का काम सीखकर जन सेवा केन्द्र का लाइसेन्स लिया। इसके बाद वर्ष 2022 अक्टूबर में निषाद कम्प्यूटर केन्द्र के नाम से जन सेवा केन्द्र–लाल बोझा, थाना–मूर्तिहा, जनपद बहराइच में खोला। लगभग 01 वर्ष पूर्व अकील सैफी नाम के व्यक्ति से टेलीग्राम पर मेरा सम्पर्क हुआ। अकील सैफी द्वारा आधार बनाने का पोर्टल दिया जा रहा था। अकील सैफी से व्हाटसएप के माध्यम से बात होने लगी तो उसने बताया कि मैं आपको आधार का काम करने के

लिए आईडी पासवर्ड बनाकर दे दूंगा, जिसके एवज मे रू0 35,000/– लूंगा। इसके बाद मैने अकील सैफी को रू 35000/– फोनपे के माध्यम से भेज दिया। जिसके बाद अकील सैफी ने मेरा सिस्टम ऐनीडेस्क पर लेकर उसमें कूटरचित निवास/जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल डाउलोड कर यूजर आईडी पासवर्ड सेव कर दिया व आधार कार्ड बनाने का पोर्टल डाउनलोड कर दिया। जिसका आईडी पासवर्ड भी सेव कर दिया। उक्त आईडी पासवर्ड पर मैंने करीब 03 माह (जनवरी–2025 से मार्च–2025 तक) काम किया। तीन माह में मैने लगभग 2000–2500 लोगो का आधार संशोधन/न्यू आधार कार्ड बनाने का काम किया, जिनका फर्जी आधार बनाना होता था उसका नाम/पिता का नाम, जन्मतिथि व पता जन्म व निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल पर डाल देता था। जिसके 01–02 मिनट बाद कूटरचित डिजिटल जन्म व निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ तैयार होकर डाउनलोड हो जाता था। इन्ही का प्रयोग कर फर्जी आधार कार्ड 0–18 वर्ष के लोगों का बनाने लगा तथा अन्य आधार कार्ड में संषोधन करने लगा। मैने मो0 सैफी से मेरे जानने वाले दर्जनों लोगों के सिस्टम पर एनीडेस्क के माध्यम से कूटरचित निवास/जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल डाउनलोड कर यूजर आईडी पासवर्ड सेव करा दिया व आधार कार्ड बनाने का पोर्टल डाउनलोड करवा दिया। मै प्रत्येक आईडी पासवर्ड का 45,000/– लेता था और मो0 सैफी को 35,000 रू0 देता था। बाकी का सारा सिस्टम लैपटाप, फिगर स्कैनर, रेटिना स्कैनर, कैमरा, प्रिन्टर आपरेटर स्वंय व्यवस्था करता था। एक आईडी पर प्रतिदिन औसतन 20 से 25 कार्ड बनते थे। मेरे द्वारा चलवायी जा रही सभी आईडी पर कुल मिलाकर लगभग 18 से 19 हजार आधार कार्ड अपडेट व बनाये गये है। मै अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था। आज नेपाल भागने की फिराक में था।

अभियुक्त द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण किया जा रहा है। जन्म/निवास प्रमाण–पत्र बनाने के पोर्टल डेवलप करने वाले डेवलपर/आधार कार्ड बनाने की यूजर आईडी की जानकारी व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेन्सिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 251/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338 बीएनएस 2023 थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच में दाखिल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 522 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 5 लाख रुपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 1,270/– रूपये बरामद किया गया ।</u>

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन, ए0एन0टी0एफ0, यूनिट लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम कमलेश रावत उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 बंशीलाल निवासी ग्राम लखियापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर, कब्जे से 522 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 5 लाख रुपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 1,270/– रूपये बरामद कर, गिरफ्तार किया गया । थाना कोठी, जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0 360/2025 धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

<u>पूछताछ का विवरणः–</u>

अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह अवैध मादक पदार्थ स्मैक/हेरोइन उसने एक व्यक्ति से खरीदा था जिसकी वह तस्करी कर कमीशन प्राप्त करता है व अपने परिवार का भरण पोषण करता है । उसके द्वारा बताया गया कि 4–5 वर्ष पूर्व एक्सीडेन्ट में उसका पैर टूट गया था जिस कारण वह एक पैर से लंगडाता है जिस कारण और कोई काम नहीं कर सकता है । आज वह इसे बेंचने की फिराक में था कि आप लोगों नें पकड़ लिया । अभियुक्त से पूछताछ में काफी लाभप्रद जानकारियाँ प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करते हुए, इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1. कमलेश रावत उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 बंशीलाल निवासी ग्राम लखियापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी (उ0प्र0) ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान –

दिनांकः 11.12.2025 स्थानः लखियापुर तिराहे से लगभग 500 मी0 आगे बह्दग्राम छोटा लालपुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी का विवरणः–

1. 522 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 5 लाख रुपये)
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 1,270/– रूपये नगद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकीः–

1. प्र0नि0 श्री अयनुद्दीन थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
2. उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
3. उ0नि0 श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
4. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
5. उ0नि0 श्री मनीष कुमार दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
6. हे0का0 वेद प्रकाश दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
7. हे0का0 आलोक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
8. हे0का0 दीपक कुमार कुमार थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
9. हे0का0 सुनील राय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
10. हे0का0 कौशल कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
11. का0 अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
12. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
13. का0 अमरपाल थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।

एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार कर, कब्जे से 72 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रूपये), 05 अदद मोबाइल, 01 अदद मोटर साइकिल व 2,300/– रुपये नकद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर 1– अरविन्द कश्यप

उर्फ भूरा पुत्र सुनील कश्यप निवासी मोहल्ला बृह्मपुरी वार्ड नं0 13 कस्बा दौराला थाना दौराला जनपद मेरठ, 2– अकदस पुत्र अब्दुस समद निवासी गांव तेवड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर, 3– मुहर्रम पुत्र मुकर्रम निवासी गांव तिस्सा अलीपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर, 4– सादिक पुत्र तालिब निवासी गांव तिस्सा अलीपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 72 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रूपये), 05 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व 2,300/– रूपये नकद बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना दौराला, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 401/2025 धारा 8/20(इ)(पप)(ब)/29/60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अरविन्द ने बताया कि वह गिरफ्तार अकदस व उसके साथियों को उडीसा राज्य के जयपुर कस्बे में एक व्यक्ति से गांजा लाने हेतु भेजा था । इन्हें यह दस – दस हजार रूपया गांजा लाकर देने के बाद देता है । आज ये तीनों गिरफ्तारशुदा अभियुक्त बस द्वारा दौराला मेरठ टोल प्लाजा के पास झोले के अन्दर खाली इन्वर्टर की बाडी में गांजा के पैकेट छुपाकर लाये थे । यह इन लोगों से गांजा भरे झोले लेने आया था कि इनके साथ इसे भी पुलिस ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1– अरविन्द कश्यप उर्फ भूरा पुत्र सुनील कश्यप निवासी मोहल्ला बृह्मपुरी वार्ड नं0 13 कस्बा दौराला थाना दौराला जनपद मेरठ

2– अकदस पुत्र अब्दुस समद निवासी गांव तेवड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

3– मुहर्रम पुत्र मुकर्रम निवासी गांव तिस्सा अलीपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर

4– सादिक पुत्र तालिब निवासी गांव तिस्सा अलीपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 12.12.2025 स्थान– शिवासिस मोटर्स के सामने हरिद्वार दिल्ली रोड पर थाना दौराला जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण

1. 72 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रूपये)

2. 05 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स
4. 2,300/– रूपया नकद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 यूनिट/थाना मेरठ

1– उप निरीक्षक श्री लोकेन्द्र कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ ।
2– उप निरीक्षक श्री तुषार सिंह एएनटीएफ थाना मेरठ ।
3– हे0का0 मनीष कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ ।
4– हे0का0 पंकज कुमार एएनटीएफ थाना मेरठ ।
5– का0 रोहित कुमार एएनटीएफ थाना मेरठ ।

सहयोगार्थ थाना–दौराला जनपद मेरठ की टीम–

1– उप निरीक्षक श्री विकास निशान्त थाना दौराला जनपद मेरठ ।
2– का0 अंकित राठी थाना दौराला जनपद मेरठ ।
3– का0 भानू प्रताप थाना दौराला जनपद मेरठ ।

<u>जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटी गयी 80 हजार रूपये नगद**
- **लूटा गया टैबलेट सैमसंग**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.12.2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहपुरा अण्डरपास के पास रबड फैक्ट्री के मैदान से 04 अभियुक्तों 1–अंकित 2–रन सिंह 3–गोविन्द उर्फ जहरीला 4–मोनू उर्फ मोरपाल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 80 हजार रूपये नगद, लूटा गया टैबलेट सैमसंग, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी रफियाबाद थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

2–रन सिंह निवासी रहमपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

3–गोविन्द उर्फ जहरीला निवासी रहमपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

4–मोनू उर्फ मोरपाल निवासी रहमपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूटी गयी 80 हजार रूपये नगद।

2–लूटा गया टैबलेट सैमसंग।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **630 ग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपये**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 12.12.2025 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगोह बाईपास रोड मेहता इन्टर कालेज के पास डिग्री कालेज रोड चौराहा से 02 अभियुक्तों 1–नितीश कुमार 2–पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 630 ग्राम अवैध अफीम, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नितीश कुमार निवासी ग्राम टूनगून थाना लावालौंग जनपद चतरा, झारखण्ड।

2—पवन निवासी ग्राम टूनगून थाना लावालौंग जनपद चतरा, झारखण्ड।

बरामदगी

1—630 ग्राम अवैध अफीम।

2—नगद रूपये।

3—01 मोबाइल फोन।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सुधीर 2—राजवीर 3—राजीव उर्फ बब्लू 4—बब्लू 5—प्रदीप 6—सुमित को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पूलाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना घोरावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट के

अन्तर्गत अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ कल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कन्हैया को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।